



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 14 जनवरी, 2015 / 24 पौष, 1936

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th January, 2015

No. HHC/GAZ/ 14-281/2005.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant ex-post facto sanction of 03 days' commuted leave *w.e.f.* 4.11.2014 to 6.11.2014 and 11 days' earned leave *w.e.f.* 7.11.2014 to 17.11.2014 in favour of Smt. Gurmeet Kaur, Civil Judge (Sr. Division)-*cum*-ACJM (I), Hamirpur, H.P.

Certified that Smt. Gurmeet Kaur has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Gurmeet Kaur would have continued to hold the post of Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM (I), Hamirpur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

Sd/-
By order,
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th January, 2015

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM (I), Rohru, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Courts of Civil Judges (Jr. Division)-cum-JMIC, Chopal & Jubbil and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishments attached to the aforesaid Courts under Major Head "2014-Administration of Justice" during the leave period of Sh. Mohit Bansal, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Chopal or till he returns from leave.

Sd/-
By order,
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA -171001

NOTIFICATION

Shimla, the 5th January, 2015

No. HHC/GAZ/14-300/08.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 13 days' earned leave *w.e.f.* 5.1.2015 to 17.1.2015 with permission to prefix Sunday falling on 4.1.2015 and to suffix Sunday and Special casual leave falling *w.e.f.* 18.1.2015 to 1.2.2015 in favour of Sh. Mohit Bansal, Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Chopal, H.P.

Certified that Sh. Mohit Bansal is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Mohit Bansal would have continued to hold the post of Civil Judge (Junior Division)-cum-JMIC, Chopal, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

Sd/-
By order,
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA – 171001**NOTIFICATION***Shimla, the 7th January, 2015*

No. HHC/Admn. 6 (23)/74-XV.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2 (32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC (II), Ghumarwin, H.P. as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM (I), Ghumarwin and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of establishments attached to the aforesaid Court under Major Head "2014-Administration of Justice" during the leave period of Sh. Anil Kumar, Civil Judge (Sr. Division)-cum-ACJM (I), Ghumarwin or till he returns from leave.

Sd/-
By order,
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla, the 7th January, 2015*

No. HHC/GAZ/ 14-279/2004.— Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 10 days' earned leave *w.e.f.* 8.1.2015 to 17.1.2015 with permission to suffix Sunday and winter vacation falling *w.e.f.* 18.1.2015 to 31.1.2015 in favour of Sh. Anil Kumar, Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM (I), Ghumarwin, H.P.

Certified that Sh. Anil Kumar is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Sh. Anil Kumar would have continued to hold the post of Civil Judge (Senior Division)-cum-ACJM (I), Ghumarwin, H.P., but for his proceeding on leave for the above period.

Sd/-
By order,
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla, the 8th January, 2015*

No. HHC/Admn. 6 (20)/77-XVIII.—In partial modification of the Notification No. HHC/Admn.6(20)77-XVIII-41066-96 dated 24.12.2014, Hon'ble the Chief Justice has been

pleased to nominate the following Hon'ble Judges, as Vacation Judge(s), during the ensuing winter vacation *w.e.f.* 12.01.2015 to 21.02.2015, for the period shown as under.—

1.	Hon'ble Mr. Justice Dharam Chand Chaudhary	26.1.2015 to 1.2.2015 <i>instead of</i> 19.1.2015 to 25.1.2015
2.	Hon'ble Mr. Justice P.S. Rana	19.1.2015 to 25.1.2015 <i>instead of</i> 26.1.2015 to 1.2.2015

Now, the Court sitting of the aforesaid Hon'ble Judges will be as under :

1.	Hon'ble Mr. Justice Dharam Chand Chaudhary	30.1.2015(Friday) <i>instead of</i> 23.1.2015
2.	Hon'ble Mr. Justice P.S. Rana	23.1.2015(Friday) <i>instead of</i> 30.1.2015

Sd/-
By order,
OF HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001

NOTIFICATION

Shimla, the 7th January, 2015

No. HHC/Admn. 3(149)/80-I.—12 days leave *i.e.* (i) 05 days commuted leave on an *w.e.f.* 08.12.2014 to 12.12.2014, with permission to suffix second Saturday and Sunday on 13.12.2014 & 14.12.2014 and (ii) 07 days commuted leave on and *w.e.f.* 18.12.2014 to 24.12.2014, with permission to suffix Gazetted holiday son 25.12.2014 & 26.12.2014, is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Faryad Bhatti , Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Shri Faryad Bhatti has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Faryad Bhatti would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar, but for his proceeding on leave.

Sd/-
By order,
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla, the 9th January, 2015*

No. HHC/Admn. 3(391)/94-I.—10 days earned leave on and with effect from 12.01.2015 to 21.01.2015, with permission to prefix second Saturday and Sunday falling on 10.01.2015 & 11.01.2015, is hereby sanctioned, in favour of Shri Anil Kumar Sharma, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Anil Kumar Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Anil Kumar Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary, but for his proceeding on leave.

Sd/-
By order,
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171001**NOTIFICATION***Shimla, the 5th January, 2015*

No. HHC/GAZ/ 14-303/09.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex- post facto* sanction of 46 days' earned leave *w.e.f.* 31.10.2014 to 15.12.2014 with permission to prefix maternity leave *w.e.f.* 18.6.2014 to 30.10.2014 in favour of Smt. Vijay Lakshmi, Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Bilaspur, H.P.

Certified that Smt. Vijay Lakshmi has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Smt. Vijay Lakshmi would have continued to hold the post of Civil Judge (Jr. Division)-cum-JMIC, Bilaspur, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

Sd/-
By order,
Registrar General.

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT**NOTIFICATION***Shimla, the 23rd December, 2014*

No.1-18/2013-41984.—Sanction is hereby accorded to the grant of 3 days earned leave *w.e.f.* 22nd to 24th December, 2014 in favour of Shri Vivek Singh Attri, Deputy Advocate General

of this department with permission to avail prefix/suffix Sunday & Gazetted holidays falling on 21st, 25th & 26th December, 2014.

Certified that Shri Vivek Singh Attri, Deputy Advocate General would have continued to officiate, but for his proceeding on 3 days earned leave and that this period of leave will count for continuation of his service.

Certified that the said Shri Vivek Singh Attri, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeded on leave.

By order,
Sd/-
Advocate General

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 26th November, 2014

No.1-30/2013-37492.—Sanction is hereby accorded to the grant of 3 days earned leave w.e.f. 1-12-2014 to 3-12-2014 in favour of Shri Puspinder Jaswal, Deputy Advocate General of this department with permission to avail prefix Sunday falling on 30-11-2014.

Certified that Shri Puspinder Jaswal, Deputy Advocate General would have continued to officiate, but for his proceeding on 3 days earned leave and this period of leave will count for continuation of his service.

Certified that the said Shri Puspinder Jaswal, Deputy Advocate General is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.

By order,
Sd/-
Advocate General.

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 26th November, 2014

No.1-7/2013-37499.—Sanction is hereby accorded to the grant of 6 days Earned leave w.e.f. 01-12-2014 to 6-12-2014 in favour of Shri M.L.Chauhan, Additional Advocate General of this department with permission to avail/ prefix Sundays falling on 30-11-2014 to 07-11-2014.

Certified that Shri M.L.Chauhan Additional Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 6 days Earned leave and this period of leave will count for continuation of his service.

Certified that Shri M.L.Chauhan, Additional Advocate General is likely on the expiry of leave will return for duty to the Station from where he proceeds on leave.

By order,
Sd/-
Advocate General.

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 22nd November, 2014

No. 1-10/2013-37027.—Sanction is hereby accorded to the grant of 4 days Earned Leave w.e.f. 2nd to 5th December, 2014 in favour of Shri D.S. Nainta, Additional Advocate General of this department .

Certified that Shri D.S. Nainta, Additional Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 4 days Earned Leave and this period will count for continuation of this service.

Certified that Shri D.S. Nainta, Additional Advocate General is likely, on the expiry of leave will return for duty to the station from where he proceeds on leave.

By order,
Sd/-
Advocate General.

ADVOCATE GENERAL DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla, the 17th November, 2014

No. 1-14/2013-36147.—Ex-post-facto sanction is hereby accorded to the grant of 3 days Earned Leave w.e.f. 11-11-2014 in favour of Shri Neeraj Sharma, Deputy Advocate General of this department.

Certified that Shri Neeraj Sharma, Deputy Advocate General would have continued to officiate but for his proceeding on 3 days Earned Leave and that this period will count for continuation of this service.

By order,
Sd/-
Advocate General.

**In the Court of Dr. Chand Prakash Sharma, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Rajesh Kumar, aged 27 years s/o Shri Joginder Singh, r/o VPO Jangal Ropa, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Geeta Devi, aged 24 years d/o Shri Jagat Ram, r/o VPO Bholad, Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) . . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Rajesh Kumar and Geeta Devi have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 15-10-2014 at Hatkoti Mandir Jubbal, Tehsil Jubbal, District Shimla (H.P.) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 15-1-2015. The objection received after 15-1-2015 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 5-12-2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

CHAND PRAKASH SHARMA,
*Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur (H.P.).*

**In the Court of Dr. Chand Prakash Sharma, Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Suraj Kumar, aged 37 years s/o Shri Nek Ram, r/o House No. 125, Ward No. 2, Krishna Nagar, Near Gandhi Chowk, Tehsil & District Hamirpur (H.P.).
2. Kumari Nishat Khanam, aged 28 years d/o Shri Waseemuddin *alias* Waseem Ahmed, r/o Kaswa Sahawar Janpad Kashganj, District Kashanj (U.P.) . . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 16 of Special Marriage Act, 1954.

Suraj Kumar and Kumari Nishat Khanam have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 16 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 8-12-2013 at Shiv Mandir Gasota, Tehsil and District Hamirpur (H.P.) and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 23-2-2015. The objection received after 23-2-2015 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 27-12-2014 under my hand and seal of the court.

Seal.

CHAND PRAKASH SHARMA,
Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Hamirpur (H.P.).

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री साहिब सिंह, निवासी गांव ठारु, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)
वादी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री जोगिन्द्र सिंह पुत्र श्री साहिब सिंह, निवासी गांव ठारु, तहसील शाहपुर ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी गुजारा है कि मेरे दादा श्री स्वारु राम पुत्र श्री तेगा राम की मृत्यु दिनांक 16-9-1984 को हुई है। लेकिन ग्राम पंचायत ठारु के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज न है।

अतः इस राजपत्र इश्तहार द्वारा आम सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस बारे किसी भी व्यक्ति को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 27-1-2015 को पेश कर सकता है। बाद पेशी कोई भी उजर या एतराज नहीं सुना जायेगा तथा वादी के दादा की मृत्यु तिथि पंचायत के रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज करने के आदेश कर दिए जायेंगे।

आज दिनांक 15-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत नायब तहसीलदार व अख्यारात सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री पवन कुमार

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री पवन कुमार पुत्र श्री भगत राम, निवासी बड़ोल, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री एलीना का जन्म दिनांक 21-8-2011 है परन्तु ग्राम पंचायत वीरता में जन्म पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे एलीना का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 29-1-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 27-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Namgang Dolma

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Namgang Dolma d/o श्री Tamding, निवासी Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Tenzin Dolma की जन्म तिथि 21-2-2005 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Tenzin Dolma की जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-1-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

श्री Lobsang Sopa

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री Lobsang Sopa पुत्र Late श्री Ogyen, निवासी Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Nephew Alak Lobsang Sherab की जन्म तिथि 13-6-1980 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे Alak Lobsang Sherab का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-1-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Pema Yangchen

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Pema Yangchen पत्नी Late श्री Ogyen, निवासी Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री Migmar Dolma की जन्म तिथि 13-9-1966 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Migmar Dolma का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-1-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 29-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

Passang बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

Passang पुत्री Late श्री Topgyal, निवासी Mcleodganj, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ—पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी Nice, Choeney Sangmo की जन्म तिथि 15-6-1984 है परन्तु एम0 सी0 Dharamshala में जन्म तिथि पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त Choeney Sangmo का जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 28-1-2015 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ—पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 26-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 79/Teh./2013

दिनांक पेशी : 20-2-2015

विजय कुमार

बनाम

प्रेमी।

निवासीयान महाल महाकाल, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

विजय कुमार ने अदालत हजा में बराये (दरुस्ती) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना—पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 64, खतौनी नं0, 195 to 198, खसरा नम्बरान कित्ता 11 रकबा तादादी 0-22-26 है0 महाल महाकाल, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ में भू0 मालिक है। प्रार्थी इस रकबा की दरुस्ती करवाना चाहता है। लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण प्रेमी पत्नी स्व0 श्री राम लाल, मस्त राम, भगत राम पुत्रान कन्हैया लाल, निवासीगण महाकाल, तहसील बैजनाथ को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन पेशी तिथि 20-2-2015 (मामला दरुस्ती) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर/एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यावाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-12-2014 को अदालत मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 72/Teh./2013

दिनांक पेशी : 20-2-2015

विजय कुमार

बनाम

मस्त राम।

निवासीयान महाल पानसुआ, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

विजय कुमार ने अदालत हजा में बराये (दरुस्ती) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 72, खतौनी नं0 139 to 142, खसरा नम्बरान किता 5 रकबा तादादी 0-7-56 है0 महाल पानसुआ मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ में भू0 मालिक है। प्रार्थी इस रकबा की दरुस्ती करवाना चाहता है। लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण मस्त राम, भगत राम पुत्रान, मनभरी देवी पुत्री, कलावती पुत्रियां छांगा, प्रेमी पत्नी स्व0 श्री राम लाल, मिलखी राम पुत्र, कैलाशा देवी, गुफली देवी पुत्रियां टेक चन्द, निवासी महाकाल, तहसील बैजनाथ को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन पेशी तिथि 20-2-2015 (मामला दरुस्ती) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर/एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यावाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-12-2014 को अदालत मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा(हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 10/Teh./95

दिनांक पेशी : 20-2-2015

प्रेम सागर

बनाम

शुकरू।

निवासीयान महाल मलेहड, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

प्रेम सागर ने अदालत हजा में बराये (दरुस्ती) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 140/97, खतौनी नं0 340/230/232/234, खसरा नम्बरान 175/172, 173, 171, 170, रकबा तादादी 0-68-12 है0 महाल वही खास, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ में भू0 मालिक है। प्रार्थी इस रकबा की दरुस्ती करवाना चाहता है। लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण 1. कश्मीर सिंह, 2. मान सिंह पुत्रान, 3. पार्वती देवी पत्नी स्व0 श्री खजाना राम, 4. अमर सिंह, 5. केहर सिंह, 6. प्यार चन्द, 7. स्वरूप चन्द, 8. प्रताप चन्द पुत्रान रेलू राम, 9. शुकरू राम पुत्र टीडू, 10. हिमाल चन्द, 11. रणजीत सिंह पुत्रान दया राम निवासीगण धार वही, तहसील बैजनाथ को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन पेशी तिथि 20-2-2015 (मामला दरुस्ती) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर/एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यावाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 29-11-2014 को अदालत मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 71 / Teh. / 2013
69 / Teh. / 2013

दिनांक पेशी : 20-2-2015

विजय कुमार

बनाम

साहिल आदि।

निवासीयान महाल महाकाल, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

विजय कुमार ने अदालत हजा में बराये (दरुस्ती) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं0 59/62, खतौनी नं0 186/193, खसरा नम्बरान कित्ता 2, रकबा तादादी 0-61-63 है0 महाल महाकाल, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ में भू0 मालिक है। प्रार्थी इस रकबा की दरुस्ती करवाना चाहता है। लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण राजीव कुमार, अजय कुमार पुत्रान, सलोचना देवी पत्नी स्व0 श्री जगननाथ, अक्षय कुमार, उदय कुमार पुत्र, गरीश पुत्र जगननाथ, साहिल, पुत्र सुरजीत, शेखर पुत्र, प्रिती पुत्री विरो पत्नी स्व0 कमल जीत कुमार, नितिन पुत्र सुमनां देवी, पत्नी स्व0 राजीव, सुभाष रानी पत्नी स्व0 गरीश, शिव कुमार, पुत्र श्री काशी राम, श्याम कुमार, राम कुमार पुत्रान भवानी चरण, चन्द्र लता, तारा देवी पुत्रियां भवानी चरण, रोशनी देवी पत्नी स्व0 भवानी चरण, घनश्याम, सन्तोष कुमार पुत्रान स्वरूप नरैण, आशा देवी, रीता देवी पुत्रियां रतनी देवी पत्नी स्व0 स्वरूप नरायण, प्रेमी देवी पत्नी स्व0 राम लाल, मस्त राम, भगत राम पुत्रान खयाली, निवासीगण महाकाल, तहसील बैजनाथ को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन पेशी तिथि 20-2-2015 (मामला दरुस्ती) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर/एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यावाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-12-2014 को अदालत मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 73 / Teh. / 2013
70 / The. / 2013

दिनांक पेशी : 20-2-2015

विजय कुमार

बनाम

भूपिन्द्र कुमार।

निवासीयान महाल महाकाल, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

विजय कुमार ने अदालत हजा में बराये (दरुस्ती) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं० 60/61, खतौनी नं० 187 to 192, खसरा नम्बरान कित्ता 10, रकबा तादादी 0-4-42/0-9-29 है० महाल महाकाल, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ में भू० मालिक है। प्रार्थी इस रकबा की दरुस्ती करवाना चाहता है। लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण भूपिन्द्र कुमार पुत्र, जगत्मवा, ईशवरी, ओमा देवी पुत्रियां राम सरन, साहिल पुत्र सुरजीत कुमार, शेखर, प्रिती पुत्रियां कमल जीत कुमार, चेतना पुत्री नितिन पुत्र राकेश कुमार, सुमना देवी पत्नी स्व० राकेश कुमार, सुभाषनी देवी पत्नी स्व० गरीश कुमार, अक्षय कुमार, उदय कुमार, पुत्र गरीश, शिव कुमार पुत्र काशी राम, राम कुमार, श्याम कुमार पुत्रान भवानी चरण, चन्दर लता, तारा देवी पुत्रियां, रोशनी देवी पत्नी स्व० भवानी चरण, घन श्याम पुत्र स्वरूप नारायण, सन्तोष कुमार पुत्र स्वरूप नारायण, आशा देवी, रीता देवी पुत्रियां स्वरूप नारायण, रतनी देवी पत्नी स्व० स्वरूप नारायण निवासीगण महाकाल, तहसील बैजनाथ को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन पेशी तिथि 20-2-2015 (मामला तकसीम) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर/एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यावाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-12-2014 को अदालत मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि० प्र०)

मुकद्दमा संख्या : 68/Teh./2013

दिनांक पेशी : 20-2-2015

विजय कुमार

बनाम

साहिल।

निवासीयान महाल महाकाल, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

विजय कुमार ने अदालत हजा में बराये (दरुस्ती) भूमि विभाजन हेतु प्रार्थना-पत्र गुजारा है। प्रार्थी खाता नं० 58, खतौनी नं० 185, खसरा नम्बरा 822, रकबा तादादी 0-6-36 है०, महाल महाकाल, मौजा बैजनाथ, तहसील बैजनाथ में भू० मालिक है। प्रार्थी इस रकबा की दरुस्ती करवाना चाहता है। लेकिन कुछ हिस्सादारान को साधारण तरीके से इतलाह न हो पा रही है। इसलिए प्रार्थी प्रतिवादीगण साहिल पुत्र सुरजीत कुमार, शेखर पुत्र प्रिति पुत्री, वीरो देवी पत्नी स्व० कमलजीत, चेतना पुत्र, नीतिन पुत्र सुमना पत्नी स्व० राजीव कुमार पुत्र जगननाथ, अक्षय कुमार, उदय कुमार पुत्रान गरीश, शिव कुमार पुत्र काशी राम, रामकुमार पुत्र भवानी चरण, चन्दर सारा, तारा देवी पुत्रीयां भवानी चरण, रोशनी देवी पत्नी स्व० भवानी चरण, घनश्याम, सन्तोष कुमार पुत्र स्वरूप नारायण, आशा देवी, रीता देवी पुत्रियां रतनी देवी पत्नी स्वरूप नारायण, प्रेमी देवी पत्नी स्व० राम लाल, मस्त राम, भगत राम पुत्रान कन्हैया लाल, निवासीगण महाकाल, तहसील बैजनाथ को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि वह असालतन या वकालतन पेशी तिथि 20-2-2015 (मामला दरुस्ती) में उपस्थित होकर मुकद्दमा की पैरवी करें व उजर/एतराज पेश करें अन्यथा उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यावाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 18-12-2014 को अदालत मोहर व मेरे हस्ताक्षर के साथ जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत श्री देवी चन्द ठाकुर, तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, बैजनाथ,
जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

दिनांक पेशी : 20-2-2015

श्री धर्मेन्द्र पाल पुत्र देव राज पुत्र सर्वदयाल, निवासी नौहरा, तहसील बैजनाथ आवेदक।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र वराये दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख में मेरे पिता का नाम बाम देव के वजाए देव राज दर्ज करने बारे।

उपरोक्त आवेदक धर्मेन्द्र पाल पुत्र देव राज, वासी महाल नौहरा, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र गुजारा है कि वह महाल नौहरा में भू0-स्वामी है राजस्व रिकॉर्ड में उसके पिता का नाम बाम देव दर्ज है जो कि गलत है। अतः उसने देव राज दर्ज करने का आग्रह किया है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 20-2-2015 को अदालत हजा में हाजिर होकर प्रस्तुत कर सकता है। अन्यथा प्रार्थना-पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 26-12-2014 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

देवी चन्द ठाकुर,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।